



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10275 वर्ष 2026

भूरे उर्फ तुषार

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष राय, ओम प्रकाश राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, रोहित नंदन पांडे

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश राय, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित नंदन पांडे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 321/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352, 103(1), 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन-बाबूगढ़, जिला-हापुड़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सड़क पर ट्रैक्टर खड़ी करने को लेकर पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि 16.11.2025 को शाम लगभग 4:00 बजे, आवेदक ने आठ अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई, जिससे सात लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों में से एक, आयुष, बाद में चोटों के कारण दम तोड़ गया, और परिणामस्वरूप, मामले को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामले में परिवर्तित कर दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि प्रेम पाल उर्फ पन्नू और संजय द्वारा बताए जाने पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी अर्पित को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2938/2026 दिनांक 05.02.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 23.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और ध्यान में रखते हुए अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-भूरे उर्फ तुषार को, उसके द्वारा व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतों को, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बांड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे, ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के द्वारा भेजी जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, नीति जमानत देने की रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में, दिनांक 31.01.2023 को निर्णय लिया गया, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

26 मार्च, 2026

एस. सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।